

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 157]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 मार्च 2014—चैत्र 1, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2014

क्र. 10क-वि.निर्वा.-4क-2014-222.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 76/MP-HP/18/2009, दिनांक 11 मार्च, 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2014—20 फाल्गुन, 1935 (शक)

संख्या : 76/म.प्र.-लो.स./18/2009

संदर्भ.—वर्ष 2009 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 18-विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी डॉ. प्रेमशंकर शर्मा पर उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन अधिरोपित निरर्हता को हटाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 11 के अधीन अपील.

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अधीन 18-विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी डॉ. प्रेमशंकर शर्मा को वर्ष 2009 के लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान, आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश संख्या 76/म.प्र.-लो.स./2009(II) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा न करवाने के कारण निरर्हित घोषित कर दिया गया था.

यतः, आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के निरर्हता आदेश जारी करने के पश्चात डॉ. प्रेमशंकर शर्मा ने अपने दिनांक 7 नवम्बर, 2013; 17 जनवरी, 2014; 28 जनवरी, 2014 और 10 फरवरी, 2014 क्रमशः के अभ्यावेदनों द्वारा, उनमें यह कहते हुए कि उन्होंने उनके निर्वाचन का लेखा जमा करा दिया है, उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने हेतु उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपील की थी।

यतः, डॉ. प्रेमशंकर शर्मा को दिनांक 7 मार्च, 2014 को निजी सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उन्होंने फिर से आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश संख्या 76/म.प्र.-लो.स./2009 (II) द्वारा उन पर अधिरोपित निरर्हता को हटाने हेतु पुनः याचना की है और अपना दिनांक 7 मार्च, 2014 का पत्र जमा कराया है।

यतः, रिकार्डों को देखने तथा डॉ. प्रेमशंकर शर्मा की निजी सुनवाई के पश्चात यह पाया गया है कि उन पर अधिरोपित निरर्हता सही है।

यतः, सुनवाई के दौरान, अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा विचार था कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो यह बताते हैं कि वे विधि द्वारा अपेक्षित तरीके तथा यथोचित समय पर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, परन्तु इस मामले में नरम रवैया अपनाते हुए तथा अपीलार्थी द्वारा दिए गए आवेदन को ध्यान में रखते हुए अपीलीय प्राधिकारी, इस पर आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आयोग के आदेश संख्या 76/म.प्र.-लो.स./2009 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन उन पर अधिरोपित निरर्हता की अवधि को कम करने का निर्णय लेते हैं।

अतः, निर्वाचन आयोग के दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा धारा 10क के अधीन डॉ. प्रेमशंकर शर्मा पर अधिरोपित निरर्हता को एतद्द्वारा इस आदेश की तारीख से हटा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। परिणामस्वरूप, दिनांक 9 जुलाई, 2012 के आयोग के आदेश संख्या 76/मध्यप्रदेश-लो.स./2009 (II) में क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित डॉ. प्रेमशंकर शर्मा का नाम इस आदेश की तारीख से हटा लिया गया माना जाएगा।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुधीर त्रिपाठी)
उप निर्वाचन आयुक्त।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated the 11th March, 2014—20 Phalguna, 1935 (Saka)

No. 76/MP-HP/18/2009

In Ref.—Appeal under section 11 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under section 10A of the said Act on Dr. premshankar Sharma, a contesting candidate from 18-Vidisha Parliamentary Constituency at the General Election to House of People held in 2009.

ORDER

WHEREAS, Dr. Premshankar Sharma, a contesting candidate from 18-Vidisha Parliamentary Constituency during General Election to House of People held in 2009, had been disqualified under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for not filling any account of election expenses *vide* Commission's Order No. 76/MP-HP/2009(II), dated 9th July, 2012.

WHEREAS, after issue of the Commission's disqualification order dated 9th July, 2012, Dr. Premshankar Sharma had filed appeal under section 11 of the aforesaid Act for removal of disqualification imposed on him *vide* his representations dated 7th November, 2013, 17th January, 2014, 28th January, 2014 and 10th February, 2014 respectively, stating therein that he had submitted his accounts of election expenses.

WHEREAS, Dr. Premshankar Sharma was given personal hearing on 7th March, 2014. He has again prayed for the removal of the disqualification imposed on him *vide* Commission's Order No. 76/MP-HP/2009(II), dated 9th July, 2012 and also submitted his letter dated 7th March, 2014.

WHEREAS, on pursuing the records and hearing Dr. Premshankar Sharma, it is observed that the disqualification imposed is correct.

WHEREAS, during the course of the hearing, the Appellate authority is of the view that there are sufficient reasons that explained his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required by law and hence, taking a lenient view in the matter, in view of the submissions made by the appellant, the Appellate Authority hereon decides to reduce the period of disqualification imposed on him, under section 10A of the R.P. Act, 1951 *vide* Commission's Order No. 76/MP-HP/2009(II), dated 9th July, 2012.

It is hereby decided, that the disqualification imposed on Dr. Premshankar Sharma, under section 10A, *vide* Election commission of India order dated 9th July, 2012 shall stand removed from the date of this Order. Consequently, the name of Dr. Premshankar Sharma appearing at Serial No. 08 in the Commission's Order No. 76/MP-HP/2009(II), dated 9th July, 2012 shall be deemed to have been deleted from the said order with effect from the date of this order.

By Order,

Sd./-

(SUDHIR TRIPATHI)

Deputy Election Commissioner.